

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
 विज्ञापन क्रमांक ~~1478~~ 1482 सम्पदा/24 भोपाल, दिनांक 15/7/24
 आवासीय भूखण्ड का विज्ञापन ऑफर आमंत्रण


प्राधिकरण की स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स योजना स्थित भूखण्ड का विक्रय निम्न तालिकों में वर्णित होकर ऑनलाईन वेबसाइट [https:// Vikaspradhikaran.mponline.gov.in](https://Vikaspradhikaran.mponline.gov.in) के माध्यम से ऑफर दिनांक 18-7-24 से दिनांक 1-8-24 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 2-8-24 को खोले जायेंगे।

क्र०	भूखण्ड/ इकाई का विवरण	भूखण्डों/ इकाइयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमी०	आरक्षण की श्रेणी, यदि आरक्षित हो	भूखण्ड/ इकाई की आरक्षित कीमत प्रति भूखण्ड	पंजीयन राशि (धरोहर राशि)
1	2	3	4	5	6	7
1	56-बी सेक्टर-सी	आवासीय	70.20	सामान्य	21,39,379 / -	2,13,938 / -

भुगतान हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. भूखण्ड पर भारित सम्पत्ति कर एवं पुनर्निर्धारण शुल्क (भू-राजस्व प्रीमियम राशि) पृथक से देय होगा।
2. भूखण्ड पर भारित रहवासी समिति शुल्क तय अनुसार रजिस्ट्री पूर्व अंतिम किश्त में पृथक से देय होगा।
3. जल प्रदाय स्ट्रीट लाईट एवं साफ-सफाई संचालन मद में 24 माह की राशि अग्रिम आधिपत्य के पूर्व पृथक से देय होगी।
4. सम्पत्ति लीज होल्ड पर विक्रय हेतु है।
5. भूखण्ड का भू-भाटक प्रथम लीज अवधि तक देय नहीं है।
6. अन्य लागू टेक्स शासन नियमानुसार देय होगी।
7. भूखण्ड की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी।
8. शेष राशि यदि कोई है तो प्राधिकरण द्वारा पृथक से भी सूचित किया जावेगा।
9. ऑफर स्वीकृति अनुसार मांग पत्र जारी होने पर निर्धारित अवधि में राशि जमा न किये जाने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।
10. निर्धारित अवधि में किश्त की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अथवा आवंटी के निवेदन पर जमा राशि वापिस चाहने पर सम्पूर्ण पंजीयन राशि राजसात कर ली जावेगी।
11. प्रचलित व्ययन नियम में वर्णित नियम एवं प्रावधान मान्य होंगे।
12. भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित है।
13. भूखण्डों का विक्रय यथास्थिति में प्रस्तावित है। भूखण्ड का स्थल निरीक्षण कर ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
14. भूखण्डों की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी, तथा आवंटन आदेश में वर्णित शर्तें आवंटी को मान्य होगी।
15. शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

16. ऐसा कोई व्यक्ति जिन्हें नियत मूल्य पर कोई सम्पत्ति अन्तरित की गई हो तत्संबंधी नियम के अन्तर्गत उसी योजना में किसी सम्पत्ति के लिए बोली लगाने या आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
17. अंतिम किश्त की राशि विकास कार्य पूर्ण होने अथवा दो वर्ष की अवधि जो भी पूर्व में आती हो, प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर आवंटियों द्वारा जमा किया जावेगा।
18. लीजडीड (रजिस्ट्री) की शर्तें आवंटी पर बंधनकारी रहेगी।
19. वेबसाईट पर घोषित विज्ञापित की शर्तें मान्य होगी।
20. ऑफर स्वीकृति उपरान्त यदि कोई हितग्राही अपना ऑफर वापिस लेना चाहता/चाहती है तो जमा पंजीयन राशि राजसात कर ली जावेगी।
21. विवाद की स्थिति में अध्यक्ष महोदय भोविप्रा का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।


सम्पदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल

जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

- 1—श्री रवि सिंह आई0टी0 (ऑनलाईन प्रक्रिया से संबंधित) मो0—8770234380
- 2—श्री उमेश वर्मा (सहा0यंत्री)(कटारा हिल्स) भवन/लोकेशन से संबंधित मो0—8770174853
- 3—श्री एस0आर0 कोगे (उपयंत्री) भवन/लोकेशन से संबंधित मो0—9893700744